भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

घटना या सूचना का महत्व निर्धारण करने की नीति
Policy on Determination of Materiality of Event or Information

1. परिचय / Introduction

1.1 स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की जाने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचना के निर्धारण के लिए सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे यहां इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" कहा गया है) के विनियम 30 की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम या सूचना ("नीति") के निर्धारण पर निम्नलिखित नीति जारी की जाती है। कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी के लागू सूचीबद्धता विनियमों के तहत 29 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है और 27 जुलाई, 2023 को आयोजित मंडल की बैठक में अतिरिक्त संशोधन अनुमोदित किए गए थे।

The following Policy on Determination of Materiality of Event or Information ("Policy") is issued in pursuance of the requirements of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") for determination of material events or information to be disclosed to Stock Exchanges. The Board of Directors of the Company has accorded approval for the same at its meeting held on 29th October, 2015 under applicable SEBI Listing Regulations and further amendments were approved in the Board meeting held on 27th July, 2023.

1.2 निदेशक मंडल, सीईओ, सीएफओ, प्रमुख प्रबंधक कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, सहायक कंपनी तथा ऐसे अन्य सभी शब्द जो यहां परिभाषित नहीं हैं का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत समय-समय पर बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों, यथा संशोधित, के अनुसार क्रमशः सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत और उनकी परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में, वही होगी जैसा सेबी सूचीबद्धता विनियमों में दिया गया है।

Board of Directors, CEO, CFO, Key Managerial Personnel, Senior Management Personnel, Subsidiary and all other words not defined herein shall have meaning respectively assigned to them under the SEBI Listing Regulations and in the absence of its definition or explanation therein, as per the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules, Notifications and Circulars made/issued thereunder, as amended, from time to time.

2. प्राधिकृत व्यक्ति / Authorised Persons

2.1 सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 30 (5) के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) इस नीति के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाने वाली घटना या सूचना के महत्व को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग रूप से प्राधिकृत होंगे।

Pursuant to Regulation 30(5) of Listing Regulations, the Chairman and Managing Director, Director (Finance) and Company Secretary of the Company Key Managerial Personnel (KMP) shall be authorized severally to determine the materiality of an event or information to be disclosed to Stock Exchanges in terms of the Policy.

2.2 महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचनाओं को निर्धारित करने के संबंध में केएमपी की शक्तियां और दायित्व इस प्रकार होंगे -
The KMPs shall have the following powers and responsibilities for determining the material events or information:

a. किसी ऐसी घटना या सूचना की समीक्षा करना और उसका मूल्यांकन करना जिसे किसी समय प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 'महत्वपूर्ण' माना जाता हो और जिसके प्रकट करने की आवश्यकता हो।
To review and assess an event or information that may qualify as 'material' and may require disclosure, on the basis of facts and circumstances prevailing at a given point in time.

b. किसी घटना या सूचना के घटित होने के वास्तविक समय के मूल्यांकन के आधार पर स्टाक एक्सचेंजों को किए जाने वाले प्रकटनों में उचित समय का निर्धारण करना।
To determine the appropriate time at which the disclosures are to be made to the stock exchanges based on an assessment of actual time of occurrence of an event or information.

c. महत्वपूर्ण प्रकृति के विकास कार्यों को नियमित आधार पर तब तक प्रकट करना जब तक कि संबंधित स्पष्टीकरण के साथ घटना या सूचना का समाधान/समापन न हो जाए।
To disclose developments that are material in nature on a regular basis, till such time the event or information is resolved / closed, with relevant explanations.

d. ऐसी अन्य घटनाओं या सूचनाओं पर विचार करना जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने की आवश्यकता हो एवं जो सेबी के सूचीबद्धता विनियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और ऐसे मामलों के लिए प्रकटन का महत्व, उचित समय और विषय-वस्तु का निर्धारण करना।
To consider such other events or information that may require disclosure to be made to the stock exchanges which are not explicitly defined in the SEBI Listing Regulations and determine the materiality, appropriate time and contents of disclosure for such matters.

e. सहायक कंपनियों के संबंध में ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को प्रकट करना जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
To disclose all events or information with respect to the subsidiaries which are material for the Company.

3. महत्व का मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश
Guidelines for Assessing Materiality

3.1 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए के पैरा-ए, समय-समय पर यथा संशोधित, में निर्दिष्ट घटना या सूचना का प्रकटन घटना के रूप में किया जाएगा जिन्हें महत्ता के दिशा-निर्देशों को लागू किए बिना, "महत्वपूर्ण" माना जाता है। (अनुलग्नक-1 देखें)
Events or information specified in Para A of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations as may be amended from time to time shall be disclosed as events which are "deemed" to be material, without any application of the guidelines for materiality. (refer Annexure-1)

3.2 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए के पैरा-बी, समय-समय पर यथा संशोधित, में निर्दिष्ट घटना या सूचना का प्रकटन विनियम 30(4) में संदर्भित महत्ता के दिशा-निर्देश लागू होने पर किया जाएगा। (अनुलग्नक-2 देखें)
Events or information specified in Para B of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations as may be amended from time to time shall be disclosed upon application of the guidelines of materiality referred in Regulation 30 (4). (refer Annexure-2)

3.3 सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 30 (4) में निर्दिष्ट मानदंड किसी घटना या सूचना का महत्व निर्धारित करने के लिए लागू होंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -
The criteria as specified in Regulation 30(4) of the SEBI Listing Regulations will be applicable for determination of materiality of an event or information, which includes the following:

A. गुणात्मक मानदंड / Qualitative Criteria:

(a) ऐसी किसी घटना या सूचना का लोप जिसके परिणामस्वरूप पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटना या सूचना का समापन या परिवर्तन होने की संभावना है, या
the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly; or

(b) यदि उक्त चूक के बारे में बाद की तारीख में मालूम चलता है और किसी घटना या सूचना का लोप करने से बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना है, या
the omission of an event or information is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date; or

B. मात्रात्मक मानदंड / Quantitative Criteria:

ऐसी किसी घटना या सूचना का लोप करना जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव निम्नलिखित से कम हो -
The omission of an event or information, whose value or the expected impact in terms of value exceeds the lower of the following:

a. कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार, टर्नओवर का 2%,
2% of turnover, as per the last audited consolidated financial statements of the Company;

b. कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार, निवल मालियत का 2%, बशर्ते कि निवल मालियत का अंकगणितीय मूल्य ऋणात्मक हो,
2% of net worth, except in case of the arithmetic value of the networth is negative, as per the last audited consolidated financial statements of the Company;

c. कंपनी के पिछले तीन लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ या हानि के परम मूल्य के औसत का 5%,
5% of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three audited consolidated financial statements of the Company

तदनुसार, मूल्य में वार्षिक प्रभाव के साथ ए, बी और सी के निचले स्तर से अधिक के किसी भी लेनदेन को उक्त प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जाएगा।
Accordingly, any transactions exceeding the lower of a, b & c, with an annual impact in value, will be considered for the above purposes.

C. यदि ऊपर उल्लिखित गुणात्मक/मात्रात्मक मानदंड लागू नहीं होते हैं तो ऐसी घटना/सूचना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल की राय में ऐसी घटना/सूचना महत्वपूर्ण मानी जाती हो।
In case where the qualitative /quantitative criteria specified above are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of the Company, the event / information is considered material.

3.4 सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-क के पैरा-सी में निर्दिष्ट घटना या सूचना जैसे कोई प्रमुख विकास कार्य जिससे कंपनी के कारोबार पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो जैसे नई तकनीकों का उभरना, पेटेंट की समाप्ति, लेखा नीति में कोई परिवर्तन जिसका खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है आदि और उसके संक्षिप्त विवरण तथा ऐसी अन्य सूचना जो कंपनी को विशेष रूप से ज्ञात हो जो कंपनी के प्रतिभूतियों के धारकों को उसकी स्थिति का मूल्यांकन करने और ऐसी प्रतिभूतियों में झूठा बाजार स्थापित करने से बचने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो।
Events or information specified in Para C of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations viz., major development that is likely to affect business of the Company, e.g. emergence of new technologies, expiry of patents, any change of accounting policy that may have a significant impact on the accounts, etc. and brief details thereof and any other information which is exclusively known to the Company which may be necessary to enable the holders of securities of the Company to appraise its position and to avoid the establishment of a false market in such securities.

3.5 सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य घटना या सूचना भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की जाएगी।
Any other event or information, as specified by SEBI from time to time shall also be disclosed to the Stock Exchanges.

3.6 यदि मंडल की राय में, किसी घटना या सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसे स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा।
If, in the opinion of the Board, any event or information is considered as material, the same shall be disclosed to Stock Exchanges.

3.7 कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं, के संबंध में ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को भी प्रकट करेगी ।
The Company shall also disclose all events or information with respect to Subsidiaries which are material for the Company.

3.8 कंपनी इस नीति में संदर्भित प्रकटनों के संबंध में संबंधित स्पष्टीकरण के साथ, जब तक घटना का समाधान / समाप्त कर दिया जाता है, तब तक नियमित आधार पर अद्यतन महत्वपूर्ण विकास को प्रकट करती रहेगी।
The Company shall make disclosures updating material developments on a regular basis, till such time the event is resolved/closed, with relevant explanations with respect to disclosures referred to in this Policy.

3.9 कंपनी ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को जो इस नीति के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट की गई हैं, अपनी वेबसाइट पर प्रकट करेगी और ऐसे प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के

लिए और उसके बाद कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार, प्रकट किए जाएंगे।
The Company shall disclose on its website all such events or information which has been disclosed to stock exchange(s) under this Policy, and such disclosures shall be hosted on the website of the Company for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the Company, as disclosed on its website.

3.10 कंपनी किसी भी घटना या सूचना के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का विशिष्ट और समुचित उत्तर देगी।
The Company shall provide specific and adequate reply to all queries raised by Stock Exchange(s) with respect to any events or information.

3.11 कंपनी अपनी पहल पर स्टॉक एक्सचेंज को किसी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि या अस्वीकृति भी कर सकती है।
The Company may on its own initiative also, confirm or deny any reported event or information to stock exchange(s).

बशर्ते कि कंपनी मुख्यधारा की मीडिया में ऐसी किसी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि, अस्वीकृति या स्पष्टीकरण करेगी जो सामान्य प्रकृति की नहीं है और जो इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी आसन्न विशिष्ट महत्वपूर्ण घटना या सूचना की अफवाहें निवेशकों के बीच यथोचित रूप से यथा संभव शीघ्र और घटना या सूचना की रिपोर्टिंग से 24 घंटों के भीतर परिचालित करती हैं।
Provided that the Company shall confirm, deny or clarify any reported event or information in the mainstream media which is not general in nature and which indicates that rumours of an impending specific material event or information in terms of the provisions of this regulation are circulating amongst the investing public, as soon as reasonably possible and not later than 24 hours from the reporting of the event or information:

बशर्ते कि यदि कंपनी रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि करती है तो यह ऐसी घटना या सूचना के वर्तमान चरण को भी सूचित करेगी।
Provided further that if the Company confirms the reported event or information, it shall also provide the current stage of such event or information.

3.12 यदि किसी विनियामक, सांविधिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा कोई घटना या सूचना प्रकट की जानी है तो कंपनी ऐसे संप्रेषण को घटना या सूचना के साथ तब तक प्रकट करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे संप्रेषण का प्रकटन निषिद्ध न कर दिया जाए।
In case an event or information is required to be disclosed by the Company in terms of the provisions of this regulation, pursuant to the receipt of a communication from any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority, the Company shall disclose such communication, along with the event or information, unless disclosure of such communication is prohibited by such authority.

3.13 उपर्युक्त के अलावा, सेबी (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, " बीईएल में भेदिया व्यापार के विनियमन, निगरानी, रिपोर्टिंग और निषेध की आचार संहिता और उचित प्रकटीकरण प्रक्रिया" की शर्तों को भी किसी भी घटना/सूचना के प्रकटीकरण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
In addition to the above, the stipulations in the “Code of Conduct and Fair Disclosure Procedure for Regulating, Monitoring, Reporting and Prohibition of Insider Trading In BEL”, as approved by the Board of Directors of the Company in terms of the provisions under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 shall also be taken into account for disclosure of any event/information.

4. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटन / Disclosure to Stock Exchanges:

4.1 कंपनी पहले स्टॉक एक्सचेंज को ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं को प्रकट करेगी जो इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित रूप से संभव शीघ्र और किसी भी मामले में निम्नलिखित के बाद की नहीं हैं - The Company shall first disclose to the stock exchange(s) all events or information which are material in terms of the provisions of this regulation as soon as reasonably possible and in any case not later than the following:

a) निदेशक मंडल की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट जिसमें ऐसी घटना या सूचना से संबंधित निर्णय लिया गया है,
30 minutes from the closure of the meeting of the Board of Directors in which the decision pertaining to the event or information has been taken;

b) ऐसी घटना या सूचना के घटित होने के 12 घंटे, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से निकलती है,
12 hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is emanating from within the Company;

c) घटना या सूचना के घटित होने के 24 घंटे बाद, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से नहीं निकलती है –
24 hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is not emanating from within the Company:

d) ऐसी घटनाओं के संबंध में जिनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची III के भाग-ए में समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है, ऐसी समय-सीमा के भीतर प्रकट की जाएगी (अनुलग्नक-1 देखें)।
With respect to events for which timelines have been specified in Part A of Schedule III of SEBI Listing Regulations shall be made within such timelines (refer Annexure-1)

4.2 यदि इस विनियम के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद प्रकटीकरण किया जाता है, तो कंपनी ऐसे प्रकटीकरण के साथ विलंब के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करेगी।
In case the disclosure is made after the timelines specified under this regulation, the Company shall, along with such disclosure provide the explanation for the delay.

5. परिसीमन और संशोधन / Limitation and Amendment

5.1 इस नीति के प्रावधानों और इस अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य संवैधानिक अधिनियमों, नियमों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, ऐसे अधिनियम या सूचीबद्धता विनियम या संवैधानिक अधिनियम, नियम के प्रावधानों इस नीति पर लागू होंगे। इस संबंध में सूचीबद्धता विनियम, अधिनियम और/या लागू कानूनों में कोई भी अनुवर्ती संशोधन/संशोधन परिवर्तनशील होगा और इस नीति पर लागू होगा।

In the event of any conflict between the provisions of this Policy and of the Act or Listing Regulations or any other statutory enactments, rules, the provisions of such Act or Listing Regulations or statutory enactments, rules shall prevail over this Policy. Any subsequent amendment / modification in the Listing Regulations, Act and/or applicable laws in this regard shall be mutatis mutandis apply to this Policy.

6. प्रभावी दिनांक और समीक्षा / Effective Date & Review

6.1 यह संशोधित नीति 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और समय-समय पर मंडल द्वारा समीक्षा के अधीन होगी। यह कार्यालय आदेश उपर्युक्त विषय पर कार्यालय आदेश सं. प्रका/010/001 दिनांक 21.03.2016 को अधिक्रमित करता है।

The amended Policy shall be effective from 1st April, 2024 and is subject to review by the Board from time to time. This Office Order supersedes Office Order No. HO/010/001 dated 21.03.2016 on the above subject.

ऐसी घटनाएं जो सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम (30) के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट के रूप में महत्व के दिशा-निर्देशों के किसी अनुप्रयोग के बिना प्रकट की जाएंगी -
Events which shall be disclosed without any application of the guidelines for materiality as specified in sub-regulation (4) of regulation (30) of SEBI Listing Regulations:

1. अर्जन (प्राप्त करने के करार सहित), व्यवस्था की योजना (समामेलन, विलय, अविलयन या पुनर्संरचना), किसी यूनिट, प्रभाग, पूर्ण या सारभूत रूप से पूर्ण किसी सूचीबद्ध संस्था के उपक्रम या सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध संस्था की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्संरचना।
   Acquisition(s) (including agreement to acquire), Scheme of Arrangement (amalgamation, merger, demerger or restructuring), sale or disposal of any unit(s), division(s), whole or substantially the whole of the undertaking(s) or subsidiary of the listed entity, sale of stake in associate company of the listed entity or any other restructuring.

स्पष्टीकरण (1)- इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, 'अर्जन' शब्द से आशय होगा -
Explanation (1) - For the purpose of this sub-paragraph, the word 'acquisition' shall mean –

(i) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त करना या
acquiring control, whether directly or indirectly; or

(ii) किसी कंपनी में, चाहे वह विद्यमान हो या निगमित की जाने वाली हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस प्रकार शेयरों या मताधिकार अर्जित करने या प्राप्त करने का करार करना कि –
acquiring or agreement to acquire shares or voting rights in a company, whether existing or to be incorporated, whether directly or indirectly, such that –

(a) सूचीबद्ध संस्था को उक्त कंपनी में कुल मिलाकर पांच प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मतदान का अधिकार हो, या
the listed entity holds shares or voting rights aggregating to five per cent or more of the shares or voting rights in the said company; or

(b) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (ए) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से धारण करने में परिवर्तन हुआ हो और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या मतदान के अधिकार के दो प्रतिशत से अधिक है, या
there has been a change in holding from the last disclosure made under sub-clause (a) of clause (ii) of the Explanation to this sub-paragraph and such change exceeds two per cent of the total shareholding or voting rights in the said company; or

(c) अर्जन की लागत या जिस कीमत पर शेयरों का अधिग्रहण किया गया है, वह विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट ऊपरी सीमा से अधिक हो।
the cost of acquisition or the price at which the shares are acquired exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub- regulation (4) of regulation 30.

स्पष्टीकरण (2)- इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान" और "सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री" में निम्नलिखित शामिल होंगे -
Explanation (2) - For the purpose of this sub-paragraph, “sale or disposal of subsidiary” and “sale of stake in associate company” shall include-

(i) किसी कंपनी में शेयरों को इस प्रकार बेचने या मतदान करने का करार कि कंपनी किसी सूचीबद्ध संस्था की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं रह जाती है, या
an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a company such that the company ceases to be a wholly owned subsidiary, a subsidiary or an associate company of the listed entity; or

(ii) किसी सहायक या सहयोगी कंपनी में शेयरों की बिक्री या मताधिकार का ऐसा करार कि बिक्री की राशि विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (सी) में निर्दिष्ट ऊपरी सीमा से अधिक हो।
an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a subsidiary or associate company such that the amount of the sale exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 30.

"स्पष्टीकरण (3)- इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "उपक्रम" और "सारभूत रूप से संपूर्ण उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत दिया गया है।
Explanation (3) - For the purpose of this sub-paragraph, "undertaking" and "substantially the whole of the undertaking" shall have the same meaning as given under section 180 of the Companies Act, 2013.

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, प्रतिभूतियों की स्थानान्तरण क्षमता पर कोई प्रतिबंध या जब्त करने सहित विद्यमान प्रतिभूतियों की निबंधन या संरचना में परिवर्तन, जब्त प्रतिभूतियों को पुनः जारी करना, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि।
Issuance or forfeiture of securities, split or consolidation of shares, buyback of securities, any restriction on transferability of securities or alteration in terms or structure of existing securities including forfeiture, reissue of forfeited securities, alteration of calls, redemption of securities etc.

3. नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन / New Rating(s) or Revision in Rating(s).

4. निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम - सूचीबद्ध संस्था निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित बैठक के समापन के 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज को इसकी सूचना देगी -
Outcome of Meetings of the Board of Directors: The listed entity shall disclose to the Exchange(s), within 30 minutes of the closure of the meeting, held to consider the following:

a) अनुशंसित या घोषित लाभांश और/या नकद बोनस या कोई लाभांश पारित करने का निर्णय और वह तारीख जिसमें लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा,
dividends and/or cash bonuses recommended or declared or the decision to pass any dividend and the date on which dividend shall be paid/dispatched;

b) लाभांश का किसी प्रकार रद्द किया जाना, ऐसा करने के कारण सहित,
any cancellation of dividend with reasons thereof;

c) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय, / the decision on buyback of securities;

d) प्रस्तावित निधि जुटाने संबंधी निर्णय,
the decision with respect to fund raising proposed to be undertaken;

e) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी करने से पूंजी में वृद्धि जिसमें वह तारीख भी शामिल हो जिसमें

ऐसे बोनस शेयर जमा/प्रेषित किए जाएंगे,
increase in capital by issue of bonus shares through capitalization including the date on which such bonus shares shall be credited/dispatched;

f) जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों को फिर से जारी करना या भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना या नए शेयरों या प्रतिभूतियों के किसी भी रूप या तरीके से सृजन करना या कोई अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या अनुलाभ प्राप्त करना,
reissue of forfeited shares or securities, or the issue of shares or securities held in reserve for future issue or the creation in any form or manner of new shares or securities or any other rights, privileges or benefits to subscribe to;

g) कॉल सहित पूंजी के किसी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण,
short particulars of any other alterations of capital, including calls;

h) वित्तीय परिणाम, / financial results;

i) स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्वैच्छिक रूप से सूचीबद्धता से हटने संबंधी निर्णय –
decision on voluntary delisting by the listed entity from stock exchange(s):

बशर्ते कि यदि मंडल की बैठक एक दिन से अधिक समय तक आयोजित की जाती है तो वित्तीय परिणाम बैठक समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर उस दिन प्रकट किए जाएंगे जिस दिन उस पर विचार किया गया है।
Provided that in case of board meetings being held for more than one day, the financial results shall be disclosed within thirty minutes of end of the meeting for the day on which it has been considered.

5. ऐसे करार (यानी शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, परिवार निपटान करार (जहां तक यह सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), करार /संधि /मीडिया कंपनियों के साथ ठेके को जो बाध्यकारी हैं और कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं, पुनरीक्षण या संशोधन और उनका समापन।
Agreements (viz. shareholder agreement(s), joint venture agreement(s), family settlement agreement(s) (to the extent that it impacts management and control of the listed entity), agreement(s)/ treaty(ies) / contract(s) with media companies) which are binding and not in normal course of business, revision(s) or amendment(s) and termination(s) thereof.

5A. शेयरधारकों, प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह के निकायों, संबंधित पक्षकारों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, सूचीबद्ध संस्था या उसकी धारक, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके बीच या सूचीबद्ध कंपनी के साथ या किसी तृतीय पक्षकार के साथ पूरी तरह या संयुक्त रूप से किए गए ऐसे करार जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या संभावित रूप से सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करते हैं या सूचीबद्ध संस्था पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं या कोई दायित्व सृजित करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किए जाएंगे, जिनमें ऐसे करार को रद्द करने, संशोधन करने या उसमें परिवर्तन करने का प्रकटन भी शामिल होगा, चाहे सूचीबद्ध संस्था ऐसे करार का पक्षकार हो या न हो,
Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, shall be disclosed to the Stock Exchanges, including disclosure of any rescission, amendment or alteration of such agreements thereto, whether or not the listed entity is a party to such agreements:

बशर्ते कि किसी सूचीबद्ध संस्था द्वारा कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए ऐसे करारों को तब तक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करता है या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के संदर्भ में प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
Provided that such agreements entered into by a listed entity in the normal course of business shall not be required to be disclosed unless they, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or they are required to be disclosed in terms of any other provisions of these regulations.

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनार्थ, "प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से" पदबंध में ऐसे करार के पक्षकारों पर यह सुनिश्चित करने की बाध्यता सृजित करने वाले करार शामिल हैं कि सूचीबद्ध संस्था किसी विशेष ढंग से कार्य करेगी या नहीं करेगी।
Explanation: For the purpose of this clause, the term “directly or indirectly” includes agreements creating obligation on the parties to such agreements to ensure that listed entity shall or shall not act in a particular manner.

6. किसी सूचीबद्ध संस्था, या उसके प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा जालसाजी या चूक करना या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तक या सूचीबद्ध संस्था के निदेशक की गिरफ्तारी चाहे वह भारत में हो या विदेश में –
Fraud or defaults by a listed entity, its Promoter, Director, Key Managerial Personnel, Senior Management or Subsidiary or arrest of Key Managerial Personnel, Senior Management, Promoter or Director of the listed entity, whether occurred within India or abroad:

इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ -
For the purpose of this sub-paragraph:

(i) 'जालसाजी' में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित जालसाजी और अनुचित व्यापार पद्धतियों का निषेध) विनियम, 2003 के विनियम 2 (1) (सी) के तहत परिभाषित जालसाजी शामिल होगी।
‘Fraud’ shall include fraud as defined under Regulation 2(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003.

(ii) 'चूक' का अर्थ होगा जिस तारीख को ऋण देय और देय हो गया है उस तारीख को ब्याज या मूल राशि का पूरा भुगतान न करना।
‘Default’ shall mean non-payment of the interest or principal amount in full on the date when the debt has become due and payable.

स्पष्टीकरण 1- नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में, यदि बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, इनमें से जो भी कम हो, से निरंतर अधिक बनी रहती है तो तीस दिनों से अधिक समय तक किसी संस्था द्वारा 'चूक' किया माना जाएगा।
Explanation 1- In case of revolving facilities like cash credit, an entity would be considered to be in ‘default’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than thirty days.

स्पष्टीकरण 2- प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, सहायक कंपनी द्वारा चूक करने का अर्थ ऐसी 'चूक' से होगा जिसका सूचीबद्ध निकाय पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।
Explanation 2- Default by a Promoter, Director, Key Managerial Personnel, Senior

Management, subsidiary shall mean default which has or may have an impact on the listed entity.

7. निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।
Change in Directors, Key Managerial Personnel (Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary etc.), Senior Management, Auditor and Compliance Officer.

7A. सूचीबद्ध संस्था के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के मामले में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए अनुसार, लेखा परीक्षक के त्यागपत्र देने के विस्तृत कारण, सूचीबद्ध संस्था द्वारा यथा शीघ्र लेकिन ऐसे कारणों की प्राप्ति के चौबीस घंटों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे।
In case of resignation of the auditor of the listed entity, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges as soon as possible but not later than twenty four hours of receipt of such reasons from the auditor.

7B. त्यागपत्र देने के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र- सूचीबद्ध संस्था के स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र देने के मामले में, त्यागपत्र देने की तारीख से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे –
Resignation of Independent Director including reasons for resignation: In case of resignation of an Independent Director of the listed entity, within seven days from the date of resignation, the following disclosures shall be made to the stock exchanges by the listed entities:

i. उक्त निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों सहित त्यागपत्र।
The letter of resignation along with detailed reasons for the resignation as given by the said Director.

ia. सूचीबद्ध स्वत्वों के नाम जिनमें त्यागपत्र देने वाले निदेशक, निदेशक का पद धारित करते हैं, जो निदेशक पद की श्रेणी और मंडल समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, को इंगित करते हैं।
Names of listed entities in which the resigning Director holds directorships, indicating the category of directorship and membership of board committees, if any.

ii. स्वतंत्र निदेशक विस्तृत कारणों के साथ इस बात की पुष्टि भी करेंगे कि प्रदान किए गए कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है।
The Independent Director shall, along with the detailed reasons, also provide a confirmation that there is no other material reasons other than those provided.

iii. उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रदान की गई पुष्टि ऊपर के उप खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रकटीकरण के साथ-साथ सूचीबद्ध निकायों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रकट की जाएगी।
The confirmation as provided by the Independent Director above shall also be disclosed by the listed entities to the stock exchanges along with the disclosures as specified in sub-clause (i) and (ii) above.

7C. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या स्वतंत्र निदेशक के अलावा अन्य निदेशक के त्यागपत्र के मामले में, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों के साथ त्यागपत्र को ऐसे त्यागपत्र के प्रभावी होने के सात दिनों के भीतर सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा।
In case of resignation of Key Managerial Personnel, Senior Management, Compliance Officer

or Director other than an Independent Director; the letter of resignation along with detailed reasons for the resignation as given by the Key Managerial Personnel, Senior Management, Compliance Officer or Director shall be disclosed to the stock exchanges by the listed entities within seven days from the date that such resignation comes into effect.

7D यदि किसी सूचीबद्ध संस्था का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी चल अवधि में पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप से भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध होता है तो ऐसे अभाव या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को इसकी सूचना दी जाएगी।
In case the Managing Director or Chief Executive Officer of the listed entity was indisposed or unavailable to fulfil the requirements of the role in a regular manner for more than forty five days in any rolling period of ninety days, the same along with the reasons for such indisposition or unavailability, shall be disclosed to the stock exchange(s).

8. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति या सेवा समाप्ति।
Appointment or discontinuation of share transfer agent.

9. निम्नलिखित विवरण सहित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्संरचना
Resolution plan/ Restructuring in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions including the following details:

(i) ऋण /उधार के समाधान की पहल करने का निर्णय,
Decision to initiate resolution of loans/borrowings;

(ii) उधारदाताओं द्वारा अंतर-लेनदार करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना,
Signing of Inter-Creditors Agreement (ICA) by lenders;

(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना,
Finalization of Resolution Plan;

(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन,
Implementation of Resolution Plan;

(v) ऋणदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संकल्प/पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएं जिनमें वाणिज्यिक गोपनीय बातें शामिल न हों।
Salient features, not involving commercial secrets, of the resolution/ restructuring plan as decided by lenders.

10. किसी बैंक के साथ एक बारगी निपटान।
One time settlement with a bank.

11. किसी पक्षकार/लेनदारों द्वारा दायर समापन याचिका।
winding-up petition filed by any party / creditors.

12. सूचीबद्ध संस्था द्वारा शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनके किसी वर्ग को भेजे गए या मीडिया में प्रकाशित किए गए नोटिस, आह्वान पत्र, संकल्प और परिपत्र जारी करना।
Issuance of notices, call letters, resolutions and circulars sent to shareholders, debenture holders or creditors or any class of them or advertised in the media by the listed entity.

13. सूचीबद्ध संस्था की वार्षिक और असाधारण सामान्य बैठकों की कार्यवाही।
Proceedings of Annual and extraordinary general meetings of the listed entity.

14. सूचीबद्ध संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियमावली में संशोधन, संक्षेप में।
Amendments to memorandum and articles of association of listed entity, in brief.

15. (a) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची कम से कम दो कार्य दिवस पहले (सूचना की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर) और सूचीबद्ध संस्था द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों के समक्ष दी गई प्रस्तुतियां।
Schedule of analysts or institutional investors meet at least two working days in advance (excluding the date of the intimation and the date of the meet) and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors.

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनार्थ 'बैठक' से आशय प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल माध्यम द्वारा आयोजित समूह बैठक या समूह कॉन्फ्रेंस कॉल से होगा।
Explanation: For the purpose of this clause 'meet' shall mean group meetings or group conference calls conducted physically or through digital means.

(b) अर्जन/तिमाही कॉल के बाद की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो निम्नलिखित तरीके से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या डिजिटल माध्यम के माध्यम से संचालित की गई हो -
Audio or video recordings and transcripts of post earnings/quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, simultaneously with submission to the recognized stock exchange(s), in the following manner:

(i) प्रस्तुतीकरण और ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी भी मामले में, अगले ट्रेडिंग दिन से पहले या ऐसी कॉल के समापन के चौबीस घंटों के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
the presentation and the audio/video recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;

(ii) ऐसी कॉलों की प्रतिलिपि ऐसी कॉलों के समापन के पांच कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
the transcripts of such calls shall be made available on the website within five working days of the conclusion of such calls:

ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि के प्रकटीकरण की आवश्यकता 01 अप्रैल, 2021 से स्वैच्छिक और 01 अप्रैल, 2022 से अनिवार्य होगी।
The requirement for disclosure(s) of audio/video recordings and transcript shall be voluntary with effect from April 01, 2021 and mandatory with effect from April 01, 2022.

16. दिवाला संहिता के तहत सूचीबद्ध कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित कार्य -
The following events in relation to the corporate insolvency resolution process (CIRP) of a listed corporate debtor under the Insolvency Code:

a) सीआईआरपी शुरू करने के लिए कार्पोरेट आवेदक द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो,
Filing of application by the corporate applicant for initiation of CIRP, also specifying the amount of default;

b) कार्पोरेट देनदार के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो,
Filing of application by financial creditors for initiation of CIRP against the corporate debtor, also specifying the amount of default;

c) यथा लागू चूक या अस्वीकृति या वापस ली गई राशि के साथ ट्रिब्यूनल द्वारा आवेदन स्वीकार करना,
Admission of application by the Tribunal, along with amount of default or rejection or withdrawal, as applicable;

d) दिवाला संहिता की धारा 13 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा।
Public announcement made pursuant to order passed by the Tribunal under section 13 of Insolvency Code;

e) आईबीबीआई (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13 (2) (सी) के तहत कार्पोरेट देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित लेनदारों की सूची,
List of creditors as required to be displayed by the corporate debtor under regulation 13(2)(c) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;

f) संकल्प पेशेवर की नियुक्ति/प्रतिस्थापन,
Appointment/ Replacement of the Resolution Professional;

g) लेनदारों की समिति की बैठकों की पूर्व या कार्योत्तर सूचना,
Prior or post-facto intimation of the meetings of Committee of Creditors;

h) आईबीबीआई (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए (5) के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में दिवाला संहिता की धारा 25 (2) (एच) के तहत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण,
Brief particulars of invitation of resolution plans under section 25(2)(h) of Insolvency Code in the Form specified under regulation 36A(5) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;

i) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या,
Number of resolution plans received by Resolution Professional;

j) ट्रिब्यूनल में समाधान योजना प्रस्तुत करना,
Filing of resolution plan with the Tribunal;

k) ट्रिब्यूनल द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या यदि लागू हो अस्वीकृति,
Approval of resolution plan by the Tribunal or rejection, if applicable;

l) दिवाला संहिता के तहत अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की विशेषताएं और

विवरण, जिसमें वाणिज्यिक गुप्त बातें शामिल न हों, परंतु निम्नलिखित विवरण शामिल हों -
Specific features and details of the resolution plan as approved by the Adjudicating Authority under the Insolvency Code, not involving commercial secrets, including details such as:

(i) कंपनी की पूर्व और बाद की निवल मालियत,
Pre and Post net-worth of the company;

(ii) सीआईआरपी के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों का विवरण,
Details of assets of the company post CIRP;

(iii) प्रतिभूतियों के विवरण जो कंपनियों की परिसंपत्तियों पर अधिरोपित करना जारी रखे गए हैं,
Details of securities continuing to be imposed on the companies' assets;

(iv) कंपनियों पर अधिरोपित अन्य महत्वपूर्ण देयताएं,
Other material liabilities imposed on the company;

(v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का 100% रूपांतरण मानते हुए शेयरधारिता से पहले और बाद के विस्तृत पैटर्न,
Detailed pre and post shareholding pattern assuming 100% conversion of convertible securities;

(vi) कंपनी में डाली गई निधियों, लेनदारों द्वारा अदा की गई निधियों का विवरण,
Details of funds infused in the company, creditors paid-off;

(vii) लेनदेन, ऐसी निधि के स्रोत आदि के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता,
Additional liability on the incoming investors due to the transaction, source of such funding etc.;

(viii) निवेशकों पर प्रभाव-संशोधित पी/ई, आरओएनडबल्यू अनुपात आदि,
Impact on the investor – revised P/E, RONW ratios etc.;

(ix) नए प्रवर्तकों के नाम, (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक), यदि कोई हों और कारोबार या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। यदि प्रवर्तक कंपनी हैं, तो ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रित व्यक्तियों के नाम,
Names of the new promoters, [Key Managerial Personnel], if any and their past experience in the business or employment. In case where promoters are companies, history of such company and names of natural persons in control;

(x) कारोबारी रणनीति का संक्षिप्त विवरण।
Brief description of business strategy.

m) अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना जिसमें वाणिज्यिक गुप्त बात शामिल न हो।
Any other material information not involving commercial secrets.

n) एमपीएस प्राप्त करने के लिए आने वाले निवेशक/अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम,
Proposed steps to be taken by the incoming investor/acquirer for achieving the MPS;

o) एमपीएस प्राप्त करने की स्थिति का तिमाही प्रकटन।
Quarterly disclosure of the status of achieving the MPS;

p) सूची से हटाए जाने की योजना, यदि संकल्प योजना में अनुमोदित हो, के विवरण।
The details as to the delisting plans, if any approved in the resolution plan.

17. फोरेंसिक लेखापरीक्षा की पहल- यदि फोरेंसिक लेखापरीक्षा की पहल की जाती है (चाहे वह किसी भी नाम से हो), सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा -
Initiation of Forensic audit: In case of initiation of forensic audit, (by whatever name called), the following disclosures shall be made to the stock exchanges by listed entities:

a) लेखा परीक्षा शुरु करने वाली संस्था के नाम और उसके कारण, यदि उपलब्ध हो, के साथ-साथ फोरेंसिक लेखापरीक्षा शुरु करने का तथ्य।
The fact of initiation of forensic audit along-with name of entity initiating the audit and reasons for the same, if available;

b) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर अंतिम फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरु की गई फोरेंसिक लेखापरीक्षा के अलावा)।
Final forensic audit report (other than for forensic audit initiated by regulatory / enforcement agencies) on receipt by the listed entity along with comments of the management, if any.

18. किसी भी ऐसी घटना या सूचना के संबंध में जो इन विनियमों के विनियम 30 के संदर्भ में सूचीबद्ध संस्था के लिए महत्वपूर्ण है और जिसे सूचीबद्ध संस्था द्वारा पहले से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है, सूचीबद्ध संस्था के निदेशकों, प्रवर्तकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सोशल मीडिया के सहायक माध्यमों या मुख्यधारा के मीडिया द्वारा घोषणा या संप्रेषण।
Announcement or communication through social media intermediaries or mainstream media by Directors, Promoters, Key Managerial Personnel or Senior Management of a listed entity, in relation to any event or information which is material for the listed entity in terms of regulation 30 of these regulations and is not already made available in the public domain by the listed entity.

स्पष्टीकरण- 'सोशल मीडिया मध्यस्थों' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में परिभाषित है।
Explanation – "social media intermediaries" shall have the same meaning as defined under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

19. सूचीबद्ध संस्था या उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तकर या सहायक कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित के संबंध में किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई या पारित आदेश।
Action(s) initiated or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its Directors, Key Managerial Personnel, Senior Management, Promoter or Subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:

(a) खोज या जब्ती, अथवा
search or seizure; or

(b) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के तहत लेखों को पुन: खोलना, अथवा

re-opening of accounts under section 130 of the Companies Act, 2013; or

(c) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत जांच, शुरु की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेश से संबंधित निम्नलिखित विवरण के साथ-
investigation under the provisions of Chapter XIV of the Companies Act, 2013; along with the following details pertaining to the actions(s) initiated, taken or orders passed:

i. प्राधिकारी का नाम,
name of the authority;
ii. शुरु की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेश की प्रकृति और विवरण
nature and details of the action(s) taken, initiated or order(s) passed;
iii. निर्देश या आदेश प्राप्त करने की तारीख, किसी अंतरिम या अंतरिम आदेश या प्राधिकारी के किसी अन्य संप्रेषण सहित,
date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority;
iv. उल्लंघन / अतिलंघन के विवरण जो किए गए हैं या किए जाने के आरोपित हैं,
details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;
v. सूचीबद्ध संस्था के वित्तीय, प्रचालनीय या अन्य कार्यों पर प्रभाव, जो जहां तक हो सके, आर्थिक संदर्भ में मापनीय है।
impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.

20. निम्नलिखित के संबंध में सूचीबद्ध संस्था के संबंध में, सूचीबद्ध संस्था या उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तक या सहायक कंपनी के विरुद्ध किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकारी या न्यायिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई या पारित आदेश।
Action(s) taken or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its Directors, Key Managerial Personnel, Senior Management, Promoter or Subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:

(a) निलंबन / suspension;
(b) अर्थदंड या जुर्माना लगाना / imposition of fine or penalty;
(c) कार्यवाही का निपटान / settlement of proceedings;
(d) विवर्जन / debarment;
(e) अयोग्यता / disqualification;
(f) प्रचालन बंद करना / closure of operations;
(g) अधिरोपित शास्तियां / sanctions imposed;
(h) चेतावनी या सावधान करना, अथवा warning or caution; or
(i) किसी भी नाम से इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई – शुरु की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण के साथ -
any other similar action(s) by whatever name called; along with the following details pertaining to the actions(s) initiated, taken or orders passed:

i. प्राधिकारी का नाम name of the authority;
ii. शुरु की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेशों की प्रकृति और विवरण,
nature and details of the action(s) taken, initiated or order(s) passed;
iii. निर्देश या आदेश प्राप्त करने की तारीख, किसी अंतरिम या अंतरिम आदेश या प्राधिकारी के किसी

अन्य संप्रेषण सहित,
date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority;

iv. उल्लंघन / अतिलंघन के विवरण जो किए गए हैं या किए जाने के आरोपित हैं,
details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;

v. सूचीबद्ध संस्था के वित्तीय, प्रचालनीय या अन्य कार्यों पर प्रभाव, जो जहां तक हो सके, आर्थिक संदर्भ में मापनीय है।
impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत वित्तीय विवरण या सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल द्वारा रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।
Voluntary revision of financial statements or the report of the Board of Directors of the listed entity under section 131 of the Companies Act, 2013.

ऐसी घटनाएं जो सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम (30) के उप-विनियम (4) में संदर्भित महत्व के दिशा-निर्देशों के लागू होन पर प्रकट की जाएंगी -
Events which shall be disclosed upon application of the guidelines for materiality referred sub-regulation (4) of regulation (30) SEBI Listing Regulations:

1. किसी यूनिट/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करना या शुरु करने की तारीख स्थगित करना।
   Commencement or any postponement in the date of commencement of commercialproduction or commercial operations of any unit/division.

2. सूचीबद्ध संस्था से संबंधित कोई निम्नलिखित घटना -
   Any of the following events pertaining to the listed entity:

   (a) रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माणी या विपणन सहयोग व्यवस्था, अथवा
   arrangements for strategic, technical, manufacturing, or marketing tie- up; or
   (b) नए प्रकार के कारोबार को अपनाना, अथवा
   adoption of new line(s) of business; or
   (c) किसी यूनिट, प्रभाग या सहायक कंपनी का कामकाज बंद करना (पूरी तरह या आंशिक रूप में)।
   closure of operation of any unit, division or subsidiary (in entirety or in piecemeal).

3. क्षमता वर्धन या उत्पाद लांच करना / Capacity addition or product launch.

4. प्रदान किए गए/प्राप्त किए गए आदेश/ठेका प्रदान करना, हासिल करना/प्राप्त करना, उसमें संशोधन करना या समाप्त करना जो कार्य के सामान्य क्रम में न हो।
   Awarding, bagging/ receiving, amendment or termination of awarded/bagged orders/contracts not in the normal course of business.

5. ऐसे करार (जैसे ऋण करार या कोई अन्य करार जो बाध्यकारी हैं और कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं) और उनका पुनरीक्षण या संशोधन या समापन।
   Agreements (viz. loan agreement(s) or any other agreement(s) which are binding and not in normal course of business) and revision(s) or amendment(s) or termination(s) thereof.

6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आगजनी आदि), अपरिहार्य घटना या हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण सूचीबद्ध संस्था की किसी एक या एक से अधिक यूनिटों या प्रभाग के प्रचालन में व्यवधान।
   Disruption of operations of any one or more units or division of the listed entity due to natural calamity (earthquake, flood, fire etc.), force majeure or events such as strikes, lockouts etc.

7. सूचीबद्ध संस्था पर लागू विनियामक ढांचे में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव।
   Effect(s) arising out of change in the regulatory framework applicable to the listed entity.

8. किसी मुकदमेबाजी या विवाद का लंबित होना या उसका परिणाम जो सूचीबद्ध संस्था पर प्रभाव डाल सकता है।
   Pendency of any litigation(s) or dispute(s) or the outcome thereof which may have an impact on the listed entity.

9. सूचीबद्ध संस्था के कर्मचारियों द्वारा की गई जालसाजी या चूक जिसका सूचीबद्ध संस्था पर प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है।
Frauds or defaults by employees of the listed entity which has or may have an impact on the listed entity.

10. किसी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना सहित प्रतिभूतियों की खरीद के विकल्प।
Options to purchase securities including any ESOP/ESPS Scheme.

11. किसी तृतीय पक्षकार के लिए गारंटी या हर्जाना देना या प्रतिभू बनना, चाहे वह किसी भी नाम से हो।
Giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever named called, for any third party.

12. प्रमुख लाइसेंसों या विनियामक अनुमोदनों को प्रदान करना, वापस लेना, अभ्यर्पित करना, रद्द करना या निलंबित करना।
Granting, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals.

13. किसी विनियामक, संवैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकारी को जुर्माने, दंड, बकाया राशि आदि के भुगतान में विलंब या चूक।
Delay or default in the payment of fines, penalties, dues, etc. to any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority.